प्रारंभिक परीक्षा

राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 10 विधेयकों पर निष्क्रियता के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ सख्त निर्णय सुनाया है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुख्य बिंदु -

- **राज्यपाल की निष्क्रियता असंवैधानिक**:
  - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों पर कार्रवाई करने में किया गया लंबा विलंब **असंवैधानिक था और संविधान के अनुच्छेद 200 का उल्लंघन था।**
- **स्वीकृति दी हुई मानी जाएगी**:
  - न्यायालय ने **अनुच्छेद 142** के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए माना कि **पुनः पारित सभी 10 विधेयकों को वैध स्वीकृति प्राप्त हो गई है।**
- **राज्यपाल अनिश्चित काल तक विलंब नहीं कर सकते**:
  - राज्यपालों को "**जितनी जल्दी हो सके**" कार्रवाई करनी चाहिए और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक अपने पास नहीं रख सकते - यह **पॉकेट वीटो** के समान होगा, जिसकी अनुमति नहीं है।
- **पुनः पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित नहीं:**
  - **राज्यपाल दोबारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते।** अगर वह इसे सुरक्षित रखना चाहते थे तो उन्हें पहली बार में ही ऐसा कर लेना चाहिए था।
- **राज्यपाल को संवैधानिक सलाह का पालन करना चाहिए**:
  - राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे होते हैं और व्यक्तिगत विवेक से कार्य नहीं कर सकते, विशेषकर विधेयक के पुनः पारित होने के बाद।
- **समय सीमा लागू की गई**:
  - सर्वोच्च न्यायालय ने विशिष्ट समय-सीमा तय की है जिसके भीतर राज्यपाल को पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक शासन सुनिश्चित करने के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करनी होगी।

अनुच्छेद-200 जब कोई विधेयक राज्यपाल को भेजा जाता है, तो वह:

- विधेयक को मंजूरी दे सकता है
- विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है
- राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है) लौटा सकता है।
- हालाँकि, यदि विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है, तो राज्यपाल को विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी।

अनुच्छेद-201 राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षण; वह कर सकता/सकती है

- विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना
- विधेयक पर स्वीकृति रोकना
- राज्यपाल को निर्देश देना कि वह विधेयक (अपवाद: धन विधेयक) को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दें।

आरक्षित विधेयकों पर पुनर्विचार:

- विधानमंडल को लौटाए गए विधेयक पर छह महीने के भीतर पुनर्विचार करना होगा।
- पुनः पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- राष्ट्रपति पुनर्विचारित विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है।

विधेयक पर राज्यपाल की कार्रवाई	समय सीमा
• विधेयक पर स्वीकृति देना	1 महीने के भीतर

• सहमति रोकना और विधेयक को संदेश के साथ वापस करना	3 महीने के भीतर
• विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना	3 महीने के भीतर
• पुनः पारित विधेयक पर स्वीकृति (राज्यपाल द्वारा वापसी के बाद)	1 महीने के भीतर (अनिवार्य)

स्रोत:

- **Indian Express - Assent to Bills**
- **The Hindu**

विदेशी निधियों पर नए FCRA नियम

संदर्भ

हाल ही में गृह मंत्रालय ने FCRA के तहत विदेशी धन स्वीकार करने के संबंध में अद्यतन नियम(updated rules) जारी किए हैं।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के बारे में -

- **यह भारतीय संसद द्वारा स्थापित एक विधायी ढांचा है जो व्यक्तियों, संघों और कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान की प्राप्ति और उपयोग की देखरेख करता है।**
- इसे **1976 में आपातकालीन अवधि** के दौरान भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- किसी **अनिवासी भारतीय** (**NRI**) द्वारा अपनी व्यक्तिगत बचत से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए योगदान को FCRA के अंतर्गत विदेशी योगदान नहीं माना जाता है।
- **गृह मंत्रालय (MHA) FCRA का क्रियान्वयन करता है।**
- **FCRA में 2020 संशोधन**: फंड ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाए गए, प्रशासनिक व्यय भत्ते को 50% से घटाकर 20% कर दिया गया और विदेशी फंड प्राप्तियों के लिए नई दिल्ली में एक विशिष्ट एसबीआई शाखा को अनिवार्य कर दिया गया।

नियमों में नवीनतम संशोधन के बारे में -

- **अनिवार्य पूर्व अनुमति**: इस श्रेणी के अंतर्गत किसी भी संस्था को कोई भी विदेशी धन प्राप्त करने से पहले गृह मंत्रालय से आवेदन करना होगा और अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
    - ये वे संस्थाएं हैं जो FCRA के तहत **स्थायी रूप से पंजीकृत** नहीं हैं, लेकिन किसी विशिष्ट परियोजना या गतिविधि के लिए विदेशी निधि प्राप्त करना चाहती हैं।
- एक बार पूर्व अनुमति मिल जाने के बाद, प्राप्तकर्ता को अनुमोदन की तारीख से केवल 3 वर्ष तक ही विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अनुमति होती है।
- **निधियों का उपयोग करने की समय सीमा**: अनुमोदन की तिथि से 4 वर्ष के भीतर।
- यदि संस्था इन समय सीमाओं से परे विदेशी धन प्राप्त करती है या उसका उपयोग करती है, तो इसे FCRA, 2010 का उल्लंघन माना जाएगा।

FCRA पंजीकरण मानदंड और विनियम -

- **पात्रता**: FCRA पंजीकरण विशिष्ट क्षेत्रों जैसे संस्कृति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, धर्म और सामाजिक कार्य में लगे संस्थाओं को जारी किए जाते हैं।
- **आवेदक की प्रामाणिकता**: आवेदक वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक या किसी और के नाम पर नहीं होना चाहिए, और उसे जबरन या प्रेरित धार्मिक रूपांतरण में शामिल नहीं होना चाहिए।
- **वैधता अवधि**: FCRA पंजीकरण पांच साल तक वैध रहता है, इसकी समाप्ति से छह महीने पहले नवीनीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
- **रद्दीकरण की शर्तें**: यदि आवेदन में गलत जानकारी पाई जाती है तो पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
- **रद्दीकरण के बाद प्रतिबंध**: रद्द किए गए पंजीकरण वाले एनजीओ पर पुनः पंजीकरण पर तीन साल का प्रतिबंध लगता है।
- **निलंबन प्राधिकार**: सरकार जांच के दौरान किसी एनजीओ के पंजीकरण को 180 दिनों तक निलंबित कर सकती है और उसकी वित्तीय संपत्तियों को भी फ्रीज कर सकती है।
- **कानूनी उपाय**: FCRA मामलों के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

स्रोत: Indian Express - FCRA

CPCB द्वारा संशोधित वर्गीकरण

संदर्भ

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने प्रदूषण क्षमता के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को संशोधित किया है।

नये वर्गीकरण की विशेषताएं -

- **उद्योगों** को उनकी **प्रदूषण क्षमता के अनुसार 5 श्रेणियों में वर्गीकृत** किया गया है।
- **"ब्लू कैटेगरी" नामक एक नई श्रेणी विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए शुरू की गई है जो आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएँ (EES) प्रदान करते हैं।**
- इसमें पर्यावरण प्रबंधन के लिए आवश्यक उद्योग या उपयोगिताएँ शामिल हैं, जैसे:
    - अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र
    - कुछ संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र
    - लैंडफिल रखरखाव सेवाएँ
    - बायोमाइनिंग संचालन
- **विस्तारित वैधता**: ब्लू श्रेणी के उद्योगों को प्रोत्साहन के रूप में संचालन की सहमति (**Consent to Operate**) के लिए अतिरिक्त 2 वर्ष की वैधता प्राप्त होगी।

उद्योगों के लिए मानदंड और उदाहरण -

उद्योग	प्रदूषण सूचकांक (PI) Range	उदाहरण
🔴 **रेड**	**PI > 80**	ताप विद्युत संयंत्र, सीमेंट विनिर्माण, चर्म शोधनालय
🟠 **ऑरेंज**	**55 ≤ PI < 80**	ईंट निर्माण, ड्राई सेल बैटरी, कोयला वाशरी आदि।
🟢 **ग्रीन**	**25 ≤ PI < 55**	आइसक्रीम निर्माण, असेंबली इकाइयाँ (गैर प्रदूषणकारी)
⚪ **वाइट**	**PI < 25**	सौर ऊर्जा उत्पादन, मेडिकल ऑक्सीजन आदि।
🔵 **ब्लू**	**परिवर्तनीय PI**	अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, लैंडफिल ऑपरेटर, CBG संयंत्र

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- यह जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत, 1974 में गठित एक वैधानिक निकाय है। इसे वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत अधिकार एवं कार्य भी सौंपे गए हैं।
- **कार्य:**
    - जल प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना।
    - वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना एवं वायु की गुणवत्ता में सुधार करना।
    - जल एवं वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार को परामर्श देना।

स्रोत: Hindustan Times - CPCB

समाचार संक्षेप में

निवेशक दीदी पहल

- **यह ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए, एक वित्तीय साक्षरता पहल है।**
- इसका **प्रथम चरण, नवंबर 2022 में लॉन्च** किया गया था।
- इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (IEPFA), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया।
- इस पहल के तहत, महिला डाक कर्मियों और सामुदायिक नेताओं को "निवेशक दीदी" बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जो कि स्थानीय वित्तीय शिक्षकों के रूप में कार्य करती हैं।

IEPFA के संदर्भ में -

- यह कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने एवं निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए की गई थी।

स्रोत: PIB - Niveshak didi

प्रोजेक्ट वर्षा

- **यह रणनीतिक भूमिगत नौसैनिक अड्डा विकसित करने हेतु, भारतीय नौसेना की एक वर्गीकृत परियोजना है।**
- **स्थान:** आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली गाँव के निकट।
- इसमें परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां (SSBNs) होंगी, जो भारत के परमाणु त्रय की एक महत्वपूर्ण शाखा है।
- भारत के पास वर्तमान में 4 परमाणु पनडुब्बियाँ हैं।
- भारत के पश्चिमी तट की सुरक्षा के लिए ऐसी ही एक परियोजना, कारवार (कर्नाटक) में भी निर्माणाधीन है। इसे प्रोजेक्ट सी-बर्ड नाम दिया गया है।

परमाणु त्रय क्या है?

- यह विमान, भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइलों और पनडुब्बी से प्रक्षेपित मिसाइलों द्वारा परमाणु हथियार पहुंचाने की क्षमता को संदर्भित करता है।

स्रोत: Economic Times - Varsha

दक्षिण चीन सागर में चीन का डीप सी स्टेशन

- **चीन गैस हाइड्रेट्स का अध्ययन करने के लिए, दक्षिण चीन सागर (SCS) में विश्व का पहला स्थायी अंडरसी अनुसंधान स्टेशन का निर्माण कर रहा है।**
- SCS चीन, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रूनेई के मध्य एक विवादित क्षेत्र है।

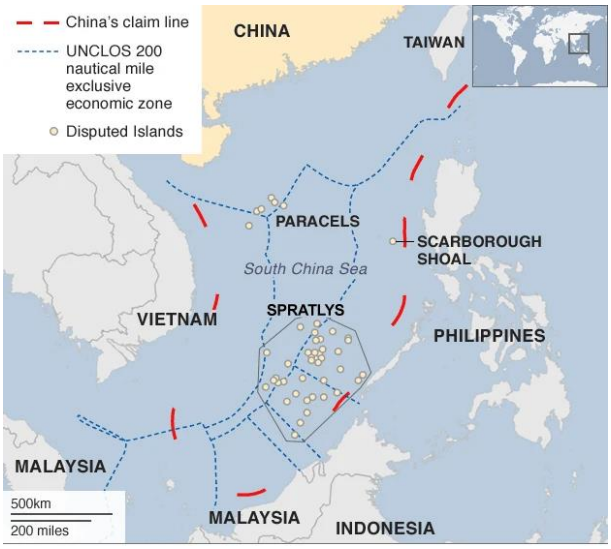

गैस हाइड्रेट्स क्या हैं?

- **गैस हाइड्रेट्स (या मीथेन हाइड्रेट्स) क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, जहां मीथेन गैस जल के अणुओं के पिंजरे जैसी संरचना के भीतर फंसी रहती है।**
- वे महाद्वीपीय ढलानों और पर्माफ्रॉस्ट जैसे ठंडे, उच्च दबाव वाले वातावरण में, समुद्र तल के नीचे पाए जाते हैं।
- जब इन्हें निकाला और विघटित किया जाता है, तो ये मीथेन नामक स्वच्छ जलने वाली प्राकृतिक गैस उत्सर्जित करते हैं।
- इन्हें अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इन्हें निकालने के लिए उन्नत एवं गैर-पारंपरिक प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है।
- भारत में संभावित मीथेन हाइड्रेट्स भंडार: कृष्णा-गोदावरी (**KG**) बेसिन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।

स्रोत: [Eurasian Times - SCS]

कैप्चा (CAPTCHA)

- **CAPTCHA का अर्थ है - कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कम्प्युटर्स एंड हुमंस अपार्ट**
- इसका उद्देश्य इंटरनेट पर वास्तविक उपयोगकर्ताओं और बॉट्स के मध्य अंतर करना है।
- **CAPTCHA किस प्रकार कार्य करता है?**
  - यह मनुष्यों के लिए आसान किन्तु बॉट्स के लिए कठिन चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, जैसे:
    - विकृत टेक्स्ट या वर्णों को पहचानना।
    - वस्तुओं (जैसे- ट्रैफ़िक लाइट, बसें) के साथ छवियों का चयन करना।
  - यह ट्यूरिंग टेस्ट पर आधारित है: यह परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए निर्मित किया गया है कि, क्या कोई मशीन मानव बुद्धि का अनुकरण कर सकती है।

स्रोत:[The Hindu - CAPTCHA]

मेटालो-नैनोजाइम क्या हैं?

- हाल ही में **CSIR-केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान** (**CLRI**), **चेन्नई के वैज्ञानिकों ने Cu-Phen** नामक एक नया **मेटालो-नैनोजाइम** विकसित किया है।
- **मेटालो-नैनोजाइम** एक प्रकार का नैनोजाइम होता है जो एंजाइम जैसी गतिविधियों को करने के लिए धातु आयनों (जैसे तांबा, लोहा, आदि) का उपयोग करता है।
  - **नैनोजाइम नैनोमटेरियल** से बने **कृत्रिम एंजाइम** होते हैं जो एंजाइम जैसी विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं।
  - एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जीवित जीवों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति देते हैं।

- इन कृत्रिम उत्प्रेरकों का उपयोग **ऊर्जा, चिकित्सा और पर्यावरण अनुप्रयोगों** में किया जाता है क्योंकि वे प्राकृतिक एंजाइमों की तुलना में अधिक स्थिर, लागत प्रभावी और समायोज्य करने योग्य होते हैं।

स्रोत: PIB - Metallo Nanozymes

स्लिपेज अनुपात(Slippage Ratio)

- **स्लिपेज अनुपात वह दर है जिस पर अच्छे ऋण खराब ऋण में बदल रहे हैं।**
- **मापने का सूत्र**: वर्ष के दौरान **NPAs** में नई वृद्धि x100/वर्ष की शुरुआत में कुल मानक संपत्ति
- **रुझान**:
    - उच्च स्लिपेज अनुपात यह दर्शाता है कि बैंक खराब ऋणों में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव कर रहा है, जो इसके लाभप्रदता और वित्तीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
    - कम या कोई स्लिपेज अनुपात यह दर्शाता है कि बैंक अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर रहा है।

स्रोत: The Hindu - Slippage Ratio

सक्रिय गतिशीलता क्या है?

- **सक्रिय गतिशीलता से तात्पर्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि नियमित यात्रा के लिए पैदल चलना, साइकिल चलाना और स्केटबोर्डिंग जैसे मानव-चालित परिवहन साधनों का उपयोग करना है।**
- इसका महत्व निम्नलिखित कारणों से बढ़ रहा है:
    - यातायात की भीड़ में वृद्धि।
    - वायु प्रदूषण।
    - स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ।
    - मेट्रो शहरों में पैदल चलने वालों की मृत्यु में वृद्धि।

स्रोत: The Hindu - Active Mobility

संपादकीय सारांश

गृह मंत्रालय का क्रमिक परिवर्तन

संदर्भ

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पिछले कुछ वर्षों में अनेक क्रमिक परिवर्तन देखे हैं।

गृह मंत्रालय की पृष्ठभूमि -

- **केवल हॉटस्पॉट्स पर ध्यान केंद्रित करना:** दशकों से, कश्मीर में हिंसा, उत्तर-पूर्व में उग्रवाद और मध्य भारत में नक्सली आंदोलन मंत्रालय की प्राथमिकताओं को निर्धारित करते रहे हैं।
    - इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की जान गई तथा राज्यों द्वारा अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने में असमर्थता के कारण केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की व्यापक तैनाती करनी पड़ी।
- **प्रतिक्रियात्मक (घटना-संचालित) कानून**: विशिष्ट घटनाओं के जवाब में कानून बनाए गए:
    - पंजाब में उग्रवाद के बाद आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) लागू किया गया।
    - 2001 के संसद हमले के बाद आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पोटा) के तहत मामला दर्ज किया गया।
    - राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का गठन 26/11 मुंबई हमलों के बाद किया गया था।
- **नेतृत्व अस्थिरता**: नेतृत्व में लगातार परिवर्तन, विशेषकर इंदिरा गांधी के तीसरे कार्यकाल और राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान, आंतरिक सुरक्षा सुधारों में अस्थिरता पैदा हुई।
    - इस अस्थिरता ने दीर्घकालिक रणनीतियों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की, जैसा कि कई गृह मंत्रियों के कार्यकाल के दौरान देखा गया।
- **संकट प्रबंधन रूपरेखा**: यद्यपि गृह मंत्रालय संकट प्रबंधन में शामिल था, लेकिन आपदा प्रबंधन के लिए व्यापक रूपरेखा बाद में विकसित की गई।
    - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए अधिक समन्वित और सक्रिय दृष्टिकोण प्रदान करना था।

सक्रिय उपायों की ओर विकास: किए गए प्रमुख सुधार -

- **विधायी सुधार:**
    - 2023 में तीन नए आपराधिक कानूनों का पारित होना: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
    - भारतीय कानून में आतंकवाद को परिभाषित करने और आतंकवादी समूहों को वित्तीय रूप से रोकने के लिए एनआईए अधिनियम और यूएपीए में संशोधन।
    - मजबूत सुरक्षा न्यायशास्त्र स्थापित करने के लिए 2019 से अब तक 27 से अधिक विधायी सुधार।
- **संस्थागत आधुनिकीकरण:** राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की स्थापना।
    - अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) का पूर्ण कार्यान्वयन, पुलिस स्टेशनों, न्यायालयों, जेलों और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को एकीकृत करना।
    - मल्टी-एजेंसी सेंटर (एम.ए.सी.) जैसे खुफिया-साझाकरण तंत्रों का पुनरुद्धार करना।
- **बजटीय विस्तार:** गृह मंत्रालय का बजट 2019 में ₹1 लाख करोड़ को पार कर गया और 2025 में बढ़कर ₹2.33 लाख करोड़ हो गया।
    - केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर व्यय 2013-14 में ₹38,000 करोड़ से बढ़ाकर 2024-25 में ₹97,000 करोड़ किया गया।
- **प्रौद्योगिकी और समन्वय पर ध्यान**: खुफिया जानकारी के लिए प्रौद्योगिकी डेटाबेस का निर्माण।
    - एजेंसियों के बीच "साझा करने का कर्तव्य" संस्कृति को बढ़ावा देना।

- **संघर्ष समाधान**:
    - कश्मीर एकीकरण के लिए अनुच्छेद 370 को कमजोर करना।
    - उत्तर-पूर्व में शांति समझौते।
    - नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों के साथ विकास पहलों को मिलाकर दोहरी रणनीति

ज़मीन पर प्रभाव -

- **हिंसा में कमी:** कश्मीर, उत्तर-पूर्व और नक्सल क्षेत्रों में हिंसा में 70% की कमी आई है।
    - कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में काफी कमी आई है।
    - पूर्वोत्तर में उग्रवाद कमजोर पड़ गया है।
- **एकीकरण और स्थिरता:** पहले संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास स्पष्ट है।
    - विकास पहलों के कारण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है।
- **उन्नत शासन:** संविधान के अनुच्छेद 355 और 356 के माध्यम से राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय।
    - प्रशासनिक कार्यों के साथ सुरक्षा को एकीकृत करते हुए संघीय शासन संरचनाओं को मजबूत किया गया

गृह मंत्रालय से संबंधित विभिन्न चुनौतियाँ क्या हैं?

शासन संबंधी चुनौतियाँ

- **जातीय हिंसा और क्षेत्रीय अस्थिरता:** मणिपुर जातीय हिंसा ने केंद्रीय हस्तक्षेप के बावजूद अशांति को रोकने में गृह मंत्रालय की क्षमता की सीमाओं को उजागर कर दिया है।
    - आलोचकों का तर्क है कि राज्य और केन्द्र सरकार के बीच टकराव ने शासन को और अधिक जटिल बना दिया है।
- **सिख उग्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध**: सिख उग्रवाद के फिर से उभरने, विशेष रूप से विदेशों में खालिस्तान समर्थक समूहों से जुड़े होने के कारण, कनाडा जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों में तनाव आया है। खुफिया एजेंसियों ने पंजाब में कट्टरपंथ और अलगाववादी आंदोलनों के बारे में चिंता जताई है।

विधायी एवं नीतिगत चिंताएँ

- **कानूनों का जल्दबाजी में मसौदा तैयार करना:** आलोचकों ने बताया है कि विधायी अधिनियमों में अक्सर गहन जांच और हितधारकों के परामर्श का अभाव होता है, जिसके कारण कार्यान्वयन में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं।
    - **उदाहरण के लिए,** ग्राम न्यायालय अधिनियम वित्तीय निहितार्थ या न्यायिक लंबित मामलों को कम करने पर इसके प्रभाव जैसे परिचालन संबंधी मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहा।
- **विधान-पूर्व जांच**: विधान-पूर्व जांच का अभाव एक आवर्ती मुद्दा है, तथा कानून बनाने से पहले व्यापक परामर्श और लागत-लाभ विश्लेषण की आवश्यकता होती है।
    - यह अंतर नये कानून की प्रभावशीलता और अनुकूलनशीलता को कमजोर करता है।

गृह मंत्रालय से जुड़ी वर्तमान चुनौतियाँ क्या हैं?

- **जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल करना:** हाल के वर्षों में आतंकवाद में कमी के बावजूद, पुंछ और रियासी जिलों में ताजा हमलों ने चिंता बढ़ा दी है।
    - अमरनाथ यात्रा को पूर्ण सुरक्षा की आवश्यकता है।
- **मणिपुर में अनसुलझी जातीय हिंसा:** समुदायों के बीच हिंसा जारी है और जिरीबाम जैसे नए क्षेत्रों में भी फैल रही है।
    - राज्य-केन्द्र समन्वय तनावपूर्ण है तथा चोरी हुए हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए हैं।
- **सिख उग्रवाद का फिर से उभरना:** खालिस्तान समर्थक तत्व भारत और विदेशों में, विशेषकर कनाडा में, दृश्यता प्राप्त कर रहे हैं।
    - दो कट्टरपंथी सिख नेताओं ने लोकसभा सीटें जीतीं - जो कट्टरपंथियों के लिए बढ़ते समर्थन को दर्शाता है।

- **नए आपराधिक न्याय कानूनों को लागू करना:** भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई, 2025 से लागू होंगे।
    - ये कानून प्रौद्योगिकी-संचालित हैं, लेकिन कई राज्यों में प्रशिक्षित कार्मिकों और डिजिटल तत्परता का अभाव है ।
- **चीन-भारत सीमा तनाव:** सैन्य स्तर की वार्ता के बावजूद चीन के साथ सीमा विवाद अनसुलझा है।
    - आंतरिक तैयारियां सुनिश्चित करनी चाहिए, विशेषकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में।
- **माओवादी हिंसा समाप्त करना:** हिंसा में 70% की कमी आई है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है।
    - गृह मंत्री ने तीन वर्षों में माओवाद-मुक्त भारत का वादा किया है - इसके लिए स्मार्ट ऑपरेशन, स्थानीय समर्थन और विकास की आवश्यकता है।
- **नागा शांति समझौते का समापन:** उत्तर-पूर्व में अन्य शांति समझौते सफल रहे हैं, लेकिन नागा वार्ता अभी भी अटकी हुई है।

आगे की राह

- संवेदनशील क्षेत्रों में खुफिया जानकारी साझा करने और निगरानी को मजबूत करना।
- जातीय और क्षेत्रीय अशांति को दूर करने के लिए समावेशी वार्ता को बढ़ावा देना।
- उचित प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के समर्थन के साथ नए कानूनों को लागू करना।
- आंतरिक सुरक्षा प्रयासों को स्थानीय विकास पहलों के साथ जोड़ना।

स्रोत: **The Hindu: The gradual transformation of the Home Ministry**

न्यायिक आदेशों के प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाना

संदर्भ

स्पष्ट न्यायिक निर्णयों के बावजूद, प्रवर्तन ढीला बना हुआ है।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- एनजीटी का जयपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक एयर हॉर्न पर प्रतिबंध लगाने का आदेश, जो दो साल बाद भी लागू नहीं हुआ है, जिससे जनता को लगातार परेशानी हो रही है।

अप्रभावी न्यायिक आदेशों के पीछे कारण -

- **कार्यान्वयन योजना का अभाव:** न्यायिक निकाय अक्सर यह सुनिश्चित किए बिना आदेश पारित कर देते हैं कि वे यथार्थवादी या व्यावहारिक रूप से प्रवर्तनीय हैं।
- **एजेंसियों के बीच खराब समन्वय:** पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परिवहन विभाग जैसी एजेंसियां निर्देशों का पालन करने में समन्वय के साथ काम करने में विफल रहती हैं।
- **"मामूली" उल्लंघनों की धारणा:** प्रवर्तन एजेंसियां अक्सर उन आदेशों को प्राथमिकता नहीं देतीं जिन्हें वे कम प्रभावकारी मानती हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण।
- **आदेशों की अवहेलना:** जैसा कि शराब प्रतिबंध मामले (तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू, 2017) में देखा गया, राज्य प्राधिकारियों ने सड़कों के पुनर्वर्गीकरण जैसी खामियां पाईं , जिससे मूल मंशा कमजोर हुई।
- **जवाबदेही का अभाव:** कार्यान्वयन अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष जवाबदेही तंत्र नहीं है।

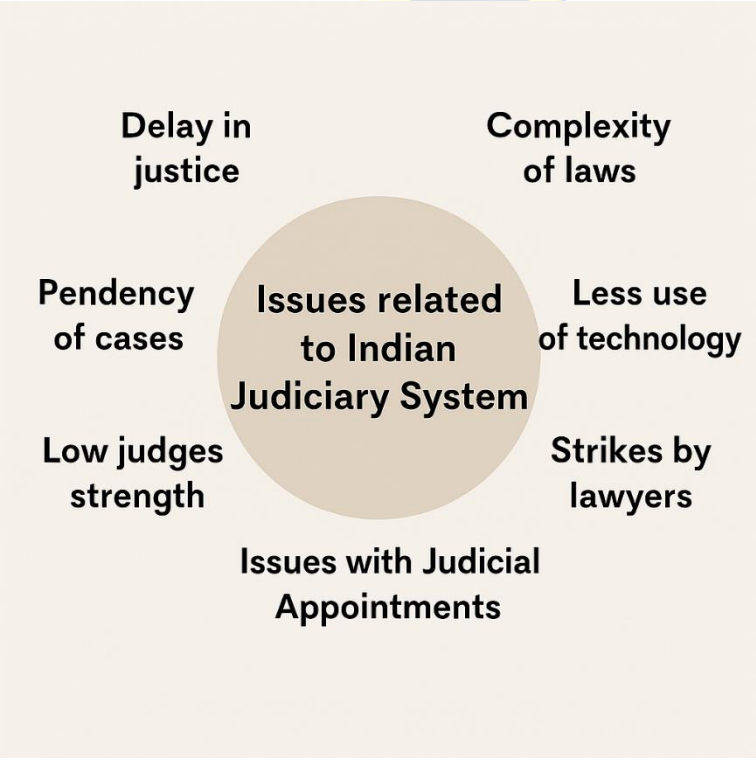

अप्रभावी और प्रभावी प्रवर्तन के पिछले उदाहरण

अप्रभावी प्रवर्तन:

- **शराब प्रतिबंध मामला (तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू, 2017):** सुप्रीम कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन सड़क पुनर्वर्गीकरण और धीमी गति से क्रियान्वयन जैसी खामियों के कारण कार्यान्वयन विफल रहा।

प्रभावी प्रवर्तन:

- **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018):** विस्तृत दिशा-निर्देशों, निरीक्षण तंत्रों और अस्पताल-स्तरीय प्रोटोकॉल के साथ निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाया गया।
- **ताज ट्रेपेज़ियम जोन मामला:** अंतर-एजेंसी समन्वय, हरित पट्टियों के निर्माण और निरंतर वायु गुणवत्ता निगरानी के कारण प्रभावी।

क्या किया जाना चाहिए -

- **आदेश तैयार करने में न्यायिक दूरदर्शिता:** न्यायालयों को प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने के दौरान व्यावहारिक बाधाओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए।
- **जवाबदेह अधिकारी नियुक्त करना:** कार्यान्वयन की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए प्रत्येक विभाग में अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना।
- **तकनीक-सक्षम निगरानी:** ऑर्डरों की वास्तविक समय ट्रैकिंग और अपडेट के लिए स्वचालित रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए डिजिटल टूल का उपयोग करना।
- **जन जागरूकता अभियान:** जागरूकता अभियानों के माध्यम से नागरिकों को शामिल करें और उन्हें उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना।
    - **उदाहरण के लिए,** नेपाल के काठमांडू में शोर नियंत्रण उपायों के सख्त क्रियान्वयन तथा जन जागरूकता अभियानों के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है।
- **अंतर-एजेंसी सहयोग:** सुचारू कार्यान्वयन के लिए पुलिस, परिवहन और स्थानीय निकायों के बीच संयुक्त कार्य बलों का गठन करना।

स्रोत: **The Hindu: Strengthening enforcement of judicial orders**

क्या हमें संसद की सदस्य संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है?

संदर्भ

उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच जनसंख्या असमानताओं ने संसद की सदस्य संख्या बढ़ाने की मांग को जन्म दिया है, जिससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और समानता पर चिंताएं बढ़ गई हैं।

क्या हमें संसद की सदस्य संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है? (विरुद्ध तर्क)

- **अधिक सांसदों और बेहतर प्रशासन के बीच कोई सिद्ध संबंध नहीं:** पिछले अनुभव से पता चलता है कि सांसदों की संख्या बढ़ाने से बेहतर कानून-निर्माण या बहस नहीं होती है।
    - विधायी प्रभावशीलता प्रतिनिधियों की संख्या पर नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर अधिक निर्भर करती है।
- **उच्च वित्तीय एवं प्रशासनिक लागत:**
    - अधिक सांसद = अधिक आवास, कर्मचारी, परिवहन, भत्ते और प्रशासनिक बुनियादी ढांचा।
    - राजकोष पर भारी लागत आती है और मूल्य संवर्धन बहुत कम या नहीं होता।
- **बड़ी कार्यपालिका: अनुच्छेद 75(1A)** के अनुसार, लोकसभा के 15% सदस्य मंत्री हो सकते हैं।
    - अधिक सांसदों से मंत्रिमंडल का आकार 90-100 तक बढ़ सकता है, जिससे कुशल शासन के बजाय संरक्षण की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा।
- **उत्तर-दक्षिण विभाजन का खतरा:** जनसंख्या डेटा का उपयोग करके नए परिसीमन से जनसंख्या नियंत्रण में उनकी सफलता के कारण दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा।
    - उत्तरी राज्यों को सीटें मिलेंगी, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीतिक असंतोष पैदा होगा।
- **संवैधानिक प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता:** लोकसभा की सदस्य संख्या को स्थायी रूप से 550 तक सीमित करने के लिए अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन की आवश्यकता है।
    - असमान जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों के कारण जनसंख्या आनुपातिकता का सिद्धांत अब व्यावहारिक नहीं रह गया है।

निष्कर्ष

भारत को अधिक सांसदों की नहीं, बल्कि बेहतर संसदीय उत्पादकता, समावेशिता और क्षेत्रीय संतुलन की आवश्यकता है। मौजूदा ताकत को स्थिर रखना और सिर्फ़ संख्या पर नहीं, बल्कि प्रतिनिधि समानता पर ध्यान केंद्रित करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है।

स्रोत: Indian Express: For United India, Freeze Lok Sabha